COURT FEE INDIA एक रुपया ONE RUPEE

A 1996-I/07

(96)

1- रामप्रसाद साहू तनय लेदू साहू

2- मु0 गुनाआउर्फ गुनाऊ विधवा पत्नीराम कुमार साहू

03- नारायणदास तनयराम कुमार साहू

04- बाबूनंदन तनय राम कुमार साहू

सभी निवासी गण ग्राम घूपी, तहसील

सिगरौलीजिला सीधी म0प्र0 ------- अपीलान्ट

राजस्व मण्डल आ. क्र. 3655 दिनांक 12/07 मध्यप्रदेश ग्वालियर

by hand रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवक दिनांक 19-12-07 को प्राप्त वरिष्ठ ऑफिस बोर्ड राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1- श्रीमती फूलमती सिंह पत्नी सुमेर सिंह

2- दलबहादुर सिंह

3- राजेन्द्र सिंह । तीनों केपिता सुमेर सिंह

4 महेन्द्र सिंह

5-रुपन सिंह तनय यदुनाथ सिंह

6- मु0 कुवरी विधवा पत्नी यदुनाथ सिंह

सभी निवासीगण ग्राम करिया तह0 सिगरौलीजिला सीधी म0प्र0

7- श्रीमती मतिया पुत्रीरामकुमारसाहू एवम पत्नी

निवासी ग्राम सखौहा, तह0 सिगरौली जिला सीधी

8- श्रीमती लालीपुत्रीराम कुमार निवासी ग्राम बालरी, तह0

सिगरौलीजिला सीधीम0प्र0 ----------- रैस्पाडेन्टगण

अपील विरुद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग

रीवा दिनांक 3-12-07 बावत प्रकरण क्र0

436/ अपील/ 05-06

अन्तर्गत धारा 44:2: म0प्र0 भूराजस्व संहिता

सन 1959ई0

Executed by Shri... Advocate/Applicant on ... 17/12/07

Supdt. Commissioner's Office Rewa Division

नारायण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1996–एक/2007 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–7–2016	आवेदकों द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 436/अपील/05–06 में पारित आदेश दिनांक 03–12–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण की ओर से अपर कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 107(5) का प्रस्तुत किया जिसे अपर कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 22/अ–74/05–06 में पारित आदेश दिनांक 14–2–06 के द्वारा स्वीकार किया गया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 5–12–07 के द्वारा उक्त अपील सारहीन होने से निरस्त की। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि नायब तहसीलदार अमिलिया द्वारा विवादित आराजियों के संबंध में विधिवत प्रतिवेदन दिनांक 26–9–05 दिया गया तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल ने दिनांक 10–8–06 को स्थल पंचनामा तैयार किया जिसमें आवेदक सहित अन्य लोगों के हस्ताक्षर बने हैं। राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं खसरों के अवलोकन पश्चात अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित	

किया। अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के विधिसम्मत आदेश की पुष्टि की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में प्रकट नहीं होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सीधी का आदेश दिनांक 14–2–06 एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 3–12–07 विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाते है। निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य